



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर  
(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)  
फोन :- 0141-2203090 ईमेल: dlsa18jaipur district@gmail.com

क्रमांक : 60

दिनांक : 29/04/21

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर में 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार की जानी है।

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर।	02
2.	स्थाई लोक अदालत (पूर्ण कालिक कार्यालय) जयपुर जिला, जयपुर।	01

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्रा क्रमांक एफ 17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 241 दिनांक 28.04.2021 के अनुक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागों/पीएसयू से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संविदा पर सेवाए ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएँ दिनांक /31.03.2022 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएँ देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्रा के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएँ राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यक्षीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, जयपुर में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अध्यक्षीन सेवाएँ देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 30.04.2021 को 01.00 पी.एम. तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय बून्दी की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/jaipur> से आवेदन पत्रा डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 30.04.2021 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2021/ 4174-4234

दिनांक : 20/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर को समस्त अधीनस्थ विभागों को सूचित करने बाबत्।
5. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, कोटपूतली/शाहपुरा/सांभरलेक/चौमू/दूदू/विराटनगर जयपुर जिला।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फार्गी/सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जमवानामगढ़।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को अखबार में प्रकाशन हेतु।
8. जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर।
9. सिस्टर ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला न्यायालय, जयपुर जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
जयपुर जिला, जयपुर



**कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर**

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं लेने के लिये)

**आवेदन पत्र**

01. कर्मचारी का नाम :- .....
02. पिता/पति का नाम:- .....
03. जन्म तिथि:- .....
04. पता गय मोबाईल नम्बर:- .....
05. आयु (दिनांक 31.03.222):- ..... वर्ष ..... माह ..... दिन
06. अर्हताए:- .....
07. मूल विभाग का नाम:- .....
08. धारित पद:- .....
09. अनुभव:- .....
10. मूल वेतन  
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड-पे)  
पे-स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि .....  
(पीपीओं की प्रति संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान .....  
(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्रा (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार  
(1).....(2).....(3).....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है .....

हस्ताक्षर

मय दिनांक

विपरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रा एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर